

मान्यता कोड : RJSKR26605

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक(प्रथम/द्वितीय)SIKAR, राजस्थान

क्रमांक: 429

दिनांक 28/08/2018

सचिव

प्रबंध समिति

Sanskar Shikshan Sansthan Sen Sec School


विषय - राजस्थान गैरसरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993 के नियम 5 के उपनियम (8) के तहत विद्यालय के लिए मान्यता क्रमोन्नति एवं अन्य हेतु प्रमाणपत्र।

आपके आवेदन पत्र क्रमांक 25818 और इस सम्बन्ध में संस्था/ विद्यालय के साथ किये गए पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के सन्दर्भ में, Sanskar Shikshan Sansthan Sen Sec School पता Principal Sanskar Shikshan Sansthan Sen Sec School Near Jeen Mata Road

Danta Teh Dantaramgarh Distt Sikar Rajasthan ग्राम पंचायत/ शहरी स्थानीय निकाय DANTA ब्लॉक


DANTARAMGARH को शैक्षणिक सत्र 2018-19 से निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर से अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित शर्तों के अधीन निम्नानुसार मान्यता मंजूर करता हूँ :-

अतिरिक्त माध्यम के लिए विवरण	
पूर्व मान्यता के अनुसार विद्यालय में शिक्षण का माध्यम	Hindi
स्वीकृत अतिरिक्त माध्यम	English
स्वीकृत अतिरिक्त माध्यम किस कक्षा से किस कक्षा तक	1-12
अतिरिक्त विषय के लिए विवरण	
पूर्व मान्यता के अनुसार कक्षा 11 एवं 12 में संचालित संकाय एवं विषय का विवरण	
विज्ञान संकाय	Physics (Science Stream), Chemistry (Science Stream), Biology (Science Stream), Mathematics (Science Stream)
वाणिज्य संकाय	Commerce (Accountancy), Commerce (Business Studies), Computer Science
कला संकाय	Political Science, History, Geography, English Literature, Drawing, Home Science, Computer Science
स्वीकृत अतिरिक्त विषय का विवरण	
विज्ञान संकाय	Agriculture Science (Science Stream)
कला संकाय	Urdu Literature



जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक-द्वितीय, सीकर

मान्यता कोड : RJSKR26605

1. विद्यालय, राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्त आदि) नियम, 1993 के उपबन्धों का पालन करेगा।
2. विद्यालय कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा के सम्बन्ध में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. राज्य सरकार/विभाग द्वारा समयसमय पर प्रसारित नियमों/आदेशों/निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करना होगा तथा बंदिस्त सूचनाएँ/अभिलेख अविलम्ब उपलब्ध करवाने होंगे।
4. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर अथवा विभागीय निरीक्षण के समय विद्यालय के लिए निर्धारित मान्यता (भौतिक एवं वित्तीय) मय किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर मान्यता समाप्त की कार्यवाही की जायेगी।
5. विद्यालय द्वारा भविष्य में कभी भी राज्य सरकार से अनुदान की मांग नहीं की जाएगी।
6. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के मान्यता सम्बन्धित विनियमों की पालना करनी होगी एवं मान्यता प्रप्त के बाद विद्यालय को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर से सम्बद्धता हेतु बोर्ड द्वारा निर्धारित अवधि में आवेदन करना होगा।
7. विद्यालय का नाम/भवन/वर्ग/माध्यम परिवर्तन इत्यादि विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाएँगे।
8. विद्यालय को दी जा रही मान्यता के अनुसार उसी सत्र में कक्षाएँ प्रारम्भ करनी होंगी, मान्यता के अनुसार उस सत्र में कक्षाएँ संचालित नहीं होने पर मान्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।
9. माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर की क्रमोन्नति होने पर मान्यता के वर्ष में ही कक्षा 9 के साथ कक्षा 10/कक्षा 11 के साथ कक्षा 12 उसी स्थिति में चलाई जा सकती है, जब इसकी स्वीकृति मान्यता प्रमाणपत्र में दी गई हो।



जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा, सीकर

मान्यता कोड : RJSKR26605


जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक (प्रथम/द्वितीय)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
- 2 वरिष्ठ शासन उप सचिव, शिक्षा (गुरुपठ) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 3 सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
- 4 उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा,..... संभाग.....।
- 5 रक्षित पत्रावली।


जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक (प्रथम/द्वितीय)